बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या–5/आ0–4–101/2015– 42 पटना, दिनांक– 27.1.17

श्री ईश्वरी प्रसाद, कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बरियारपुर, प्रमंडल मुंगेर के विरूद्ध संसुचित आरोपों यथा– आर0पी0एस0 इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना में बिना विभागीय पूर्वानुमति के नामांकन कराने, अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर B.sc. Engg. (civil) की Full Time Cource (civil) की डिग्री प्राप्त करने तथा उक्त अध्ययन काल के दौरान अपने कार्यालय कार्य का संपादन करते हुए वेतन प्राप्त करने आदि से संबंधित आरोपों की जांच त्रिसदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी। उक्त समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद कनीय अभियंता, बरियारपुर, मुंगेर के विरूद्व प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि श्री ईश्वरी प्रसाद, कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बरियारपुर, प्रमंडल मुंगेर के विरूद्व प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दयाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री अभय कुमार सिंह, उपनिदेशक (मूल्यांकन) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोपित श्री प्रसाद, आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनाधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विहित प्रावधानो के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

5. **आदेशः**– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री ईश्वरी प्रसाद, कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बरियारपुर, प्रमंडल मुंगेर/ जांच संचालन पदाधिकारी, श्री दयाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अभय कुमार सिंह, उपनिदेशक (मूल्यांकन) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

M order

ज्ञापांक– 5/आ0- 4–101/2015– 42 पटना, दिनांक– 27.1.17

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री ईश्वरी प्रसाद, कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बरियारपुर, प्रमंडल मुंगेर /जांच संचालन पदाधिकारी, श्री दयाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अभय कुमार सिंह, उपनिदेशक (मूल्यांकन) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

पटना, दिनांक– 27.1.17

ज्ञापांक– 5/आ0–4–101/2015 42

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 1 एवं 2 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव